लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) (क) जी हां ।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को कम से कम एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक की कैद तथा साथ में कम से कम 2,000/– रुपये तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है । राज्यों/संघ राज्यों के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को नियमों के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के अनुदेश दिए जाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोग का फैलना

5678. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण कराया है और दिल्ली के किस क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोगियों के लिए चलाए जा रहे निवारक कार्यक्रम अपर्याप्त हैं और अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोगियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) शाहदरा, नन्दनगरी और तहिरपुर में कुष्ठ रोगी अधिक हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1994–95 के अंत तक दिल्ली सहित सारे देश में बहु-औषध चिकित्सा योजना सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

इंदिरा कैम्प में औषधियों की बिक्री

5679. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि चाणक्यपुरी पुलिस थाने के अन्तर्गत इन्दिरा कैम्प, बापू धाम, नई दिल्ली की एक झुग्गी से स्मैक, चरस, गांजा और शराब की खुले आम बिक्री की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी बिक्री और वितरण को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वहां से स्मैक आदि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि स्मैक, चरस, गांजा और शराब की अवैध बिक्री से संबंधित 3 मामले 1993 में और 2 मामले 1994 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। ये मामले इंदिरा कैम्प, बापू धाम, नई दिल्ली से संबंधित थे।

(ख) से (घ) पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तथा मादक द्रव्य एवं अपराध निवारक प्रकोष्ठ को निदेश दिया गया है कि वे ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखें।